भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1873**

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

**तेजाब के हमले के पीड़ितों को मुआवज़ा**

**1873. श्री हुसैन दलवई :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने महिलाओं पर तेजाब के हमलों के मामलों का संज्ञान लिया है और उन्हें कानून के अंतर्गत मुआवज़ा दिया जाना अपेक्षित है;
(ख) क्या मंत्रालय को तेजाब के हमलों के पीड़ितों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें समय से मुआवज़ा नहीं मिलता है;
(ग) मंत्रालय द्वारा तेजाब के हमले के पीड़ितों की ओर से हस्तक्षेप करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उन्हें समय से मुआवज़ा प्राप्त हो; और
(घ) क्या मंत्रालय तेजाब के हमले के पीड़ितों के लिए कोई विशेष योजनाएं चलाता है या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

**(क) : जी हां। दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम (संशोधन), 2008 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नई धारा 357क को शामिल किया गया है, जिसमें अपराध के पीड़ितों हेतु मुआवजे का प्रावधान है। इसके अनुसरण में, केन्द्र सरकार के समन्वय से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक पीड़ित मुआवजा योजना (वीसीएस) तैयार की जानी अपेक्षित है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी पीड़ित मुआवजा योजना अधिसूचित कर दी है।**

(ख) : इस मंत्रालय ने ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (घ) : दिनांक 6.7.2016 को, केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिसूचित विद्यमान पीड़ित मुआवजा योजनाओं का समर्थन करने और उन्हें सम्पूरित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के उपबंधों के तहत उनके द्वारा अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना (सीवीएस) के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन और बलात्कार सहित यौन अपराधों, तेजाब से हमले, बच्चों के प्रति अपराध, मानव दुर्व्यापार आदि जैसे अनेक अपराधों के पीड़ितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने तथा इसी प्रकार के अपराध के पीड़ितों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मुआवजे की राशि की मात्रा में अंतर को कम करने के लिए निर्भया निधि के तहत 200.00 करोड़ रू. के एकबारगी अनुदान के साथ महिलाओं के लिए केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत तेजाब से हमले के पीड़ित के लिए न्यूनतम 3.00 लाख रू. का मुआवजा आबंटित किया गया है।

*****